न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया (हनुमानगढ़)
पीठासीन अधिकारी :— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रार्थना–पत्र :— 251 (ए) आर.टी.ए.
प्रार्थना –पत्र नम्बर 33/2023
मोहन सिह पुत्र श्री खेतूसिह जाति कुम्हार (प्रजापति) नि.ढाबा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. प्रीतपाल सिह पुत्र ठाण सिह जाति कुम्हार (प्रजापति) नि.ढाबा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—अप्रार्थीगण

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 4 बीजीपी के खाता संख्या 149/2018 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थी द्वारा चक नं. 4 बीजीपी के पं.नं. 207/131 मु.नं. 26 के किला नम्बर 3 के पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण दिशा में किला नं. 4 के चिपते ही 12 फुट चौड़ाई व 148.6 फुट लम्बा रास्ता किला नं. 8 में प्रवेश हेतु रास्ता स्वीकृत किया जावे व राजस्व अभिलेख में उक्त कृषि भूमि गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज कर राजस्व मानचित्र में अंकित करवाने बाबत प्रार्थना–पत्र पेश किया।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता चक 4 बीजीपी के प.न. 207/131 के मु.न. 26 के किला नं. 3 के पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण दिशा की ओर 0.025 है. रास्ता किला नं. 8 में प्रवेश हेतु स्वीकृत कर इसके बदले में अप्रार्थी संख्या 1 को चक नं. 4 बीजीपी के प.न. 207/131 मु.न. 26 किला नं. 8 की उतरी दिशा 20X148-5 बराबर 2970 वर्गफुट दर्ज किये जाने राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/132 दिनांक 29.08.2024 से मौका रिपोर्ट मय चित्र प्रति रिपोर्ट पटवारी हल्का व चित्र प्रति नजरी नक्शा प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई।

पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं तहसीलदार संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट का भली–भांति अवलोकन किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–251 (A) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम–1955 के नियम–68 से 70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है:–

क्रियान्विति आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 4 बीजीपी के प.न.
207/131 के मु.न. 26 के किला नं. 3 के पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण दिशा की ओर 0.025 है. रास्ता किला
नं. 8 में प्रवेश हेतु स्वीकृत किया जाता है इसके बदले में प्रार्थी की चक नं. 4 बीजीपी के प.न. 207/131 मु.
न. 26 किला नं. 8 की उतरी दिशा 20X148-5 बराबर 2970 वर्गफुट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज किये।
जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार संगरिया उक्त मंजूरशुद्वा रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में बतौर
गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/3/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner